न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/ 2022
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2022/47

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री जोरावरसिंह पिता श्री भासींगा निवासी टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा।

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. सरकार जरिये पटवारी पटवार हल्का टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा।
2. श्रीमान् भूमिधारी जरीये तहसीलदार तहसील सज्जनगढ, जिला बांसवाडा।

उपस्थित

श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहीत एड्वोकेट — राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम

दिनांक :– 20–08–2024

प्रकरण में संक्षीप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का टाण्डा रतना के सर्वे नंबर 340 रकबा 0.06 बिस्वा बिलानाम ना.का. काश्त किस्म देवस्थान दर्ज रेकार्ड भूमि में से 0.02 बिस्वा भूमि को अपीलांट श्री जोरावरसिंह पिता भासींगा निवासी टाण्डा रतना द्वारा स्वयं के खसरे में शामिल करते हुए अतिक्रमण करने पर पटवारी रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर सुनवाई के पश्चात् निर्णय दिनांक 10.06.2022 पारित कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए ग्राम टाण्डा रतना की भूमि सर्वे नं. 340 रकबा रकबा 0.06 बिस्वा बिलानाम ना.का. काश्त किस्म देवस्थान दर्ज रेकार्ड भूमि में से 0.02 बिस्वा अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने निर्णय पारित किया है। जिससे अपीलांट असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम अपील में देरी के लिये विलम्ब माफी बाबत् तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी अस्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:46 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

निषेधाज्ञा के जरिये अधिनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने बाबत् प्रस्तुत किया। अपील दर्ज कर रेस्पोडेंटस को जरिये समन सूचित किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 06–08–2024 को अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से बहस प्रस्तुत की गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 10.06.2022 को पारित किया है जबकि प्रार्थी द्वारा नियमित रुप से प्रकरण की जानकारी चाही गई। परन्तु प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 20.06.2022 को प्राप्त होने से उसी दिनांक को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि फार्म प्रस्तुत करने पर निर्णय की प्रति दिनांक 21.06.2022 को प्राप्त हुई। जिस पर विहित अवधि में अपील लाना आवश्यक हुआ। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देरी के लिये विलम्ब माफी फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत निर्णय दिनांक 10.06.2022 की सत्यप्रति दिनांक 21.06.2022 को प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी अपीलांट के पास नियमानुसार समयावधि में अपील प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर था किन्तु अपीलांट द्वारा जानबुझ कर यह अपील देर से प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट म्याद बिन्दु पर ही निरस्त फरमावे।

प्रार्थना पत्र जहां तक म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। विलम्ब को क्षम्य करते हुए प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने मूल अपील पर बहस के दौरान अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि [illegible] में पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मान लिया जबकि अपीलांट उपरोक्त कृषि भूमि पर शांतिपूर्ण नियमित रुप से काबिज है। सर्वे नंबर 340 रकबा 0.0486 हैक्टैयर से लगता हुआ उत्तर–पूर्व–पश्चिम दिशा की ओर अपीलांट के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 122 नया 135 पुराना सर्वे नंबर 339 रकबा 0.4128

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:46 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

हैक्टेयर वाके ग्राम टाण्डा रतना पटवार हल्का टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा में स्थित है अपीलांट को पूर्वजो के समय किए गए बंटवारे में अपने हिस्से में सर्वे नंबर 339 की भूमि आयी जिस पर वह काबिज होकर उपभोग व उपयोग कर रहा है। अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि सर्वे नंबर 339 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि जो पश्चिम दिशा में स्थित जिस पर हनुमानजी का मन्दिर निर्मित है जो उक्त भूमि मन्दिर के लिये अपीलांट के पूर्वजो द्वारा दी गई थी तथा शेष भूमि पर अपीलांट का आधिपत्य चला आ रहा है तथा उससे लगती हुई कृषि भूमि सर्वे नं.340 रकबा 0.0486 हैक्टेयर में से 0.016 हैक्टेयर यानि 02 बिस्वा भूमि पर अपीलांट का आधिपत्य पूर्वजो के समय से चला आ रहा है। जो मन्दिर निर्मित भूमि के एवज में अपीलांट के पूर्वजो को ग्राम पंचायत व ग्राम के आमजन की सहमति व जानकारी से तथा तहसील प्रशासन की जानकारी से कृषि भूमि सर्वे नंबर 340 रकबा 02 बिस्वा अपीलांट के पूर्वजो को दी गई थी, शेष भूमि 04 बिस्वा पर बरगद का पेड फैला हुआ है। अपीलांट के द्वारा अपने खातेदारी की मुख्य सडक से लगती हुई 02 बिस्वा भूमि मन्दिर निर्माण हेतु देवस्थान विभाग के लिये प्रदान की है और जिसमें मन्दिर निर्मित है। अपीलांट द्वारा मुख्य सडक से लगती हुई 02 बिस्वा भूमि मन्दिर निर्माण हेतु देवस्थान के लिये प्रदान की है। इसकी एवज में 02 बिस्वा भूमि अपीलांट को सर्वे नं. 340 मे से दी गई है जिस पर अपीलांट का आधिपत्य है। यदि देवस्थान की भूमि पर अपीलांट के द्वारा कोई अतिक्रमण किया जाता तो देवस्थान विभाग अपीलांट के विरुद्ध कार्यवाही करते। अपीलांट का 02 बिस्वा भूमि पर विधि अनुकूल कब्जा है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर न्यायालय तहसीलदार सज्जनगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2022 निरस्त फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में पटवारी हल्का टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ को प्रथम रेस्पोडेंट के रुप में पक्षकार बनाया है जबकि पटवारी तहसीलदार का अधिनस्थ [illegible] तथा किसी भी अधिनस्थ कार्मिक को निर्णय का अधिकार नहीं होता है। [illegible]थी स्वयं द्वारा यह अपील तहसीलदार सज्जनगढ के निर्णय दिनांक 10.06.2022 पर लाई गई है। अपीलांट के इस कथन पर कि सर्वे नं. 340 रकबा 02 बिस्वा पर वर्षो से कब्जा है के सम्बन्ध में मंदिर मुर्ति की भूमि सदैव अवयस्क मानी जाती है, मंदिर मुर्ति की भूमि पर यदि कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:46 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्ति कब्जा है या काश्त करता है तो वह मंदिर द्वारा ही काश्त किया जाना माना जाएगा। पटवारी हल्का टाण्डा रतना के सर्वे नंबर 340 रकबा 0.06 बिस्वा बिलानाम ना.का. काश्त किस्म देवस्थान दर्ज रेकार्ड भूमि में से 0.02 बिस्वा भूमि को अपीलांट श्री जोरावरसिंह पिता भारसींगा निवासी टाण्डा रतना द्वारा स्वयं के खसरे मे शामिल करते हुए अतिक्रमण करने पर पटवारी रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर सुनवाई के पश्चात् निर्णय दिनांक 10.06.2022 पारित कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए ग्राम टाण्डा रतना की भूमि सर्वे नं. 340 रकबा रकबा 0.06 बिस्वा बिलानाम ना.का. काश्त किस्म देवस्थान दर्ज रेकार्ड भूमि में से 0.02 बिस्वा अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का टाण्डा रतना के सर्वे नंबर 340 रकबा 0.06 बिस्वा बिलानाम ना.का. काश्त किस्म देवस्थान दर्ज रेकार्ड भूमि में से 0.02 बिस्वा भूमि को अपीलांट श्री जोरावरसिंह पिता भारसींगा निवासी टाण्डा रतना द्वारा स्वयं के खसरे में शामिल करते हुए अतिक्रमण करने पर पटवारी रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर सुनवाई के पश्चात् निर्णय दिनांक 10.06.2022 पारित कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए ग्राम टाण्डा रतना की भूमि सर्वे नं. 340 रकबा रकबा 0.06 बिस्वा बिलानाम ना.का. काश्त किस्म देवस्थान दर्ज रेकार्ड भूमि में से 0.02 बिस्वा अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने निर्णय पारित किया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन कि "अपीलांट का आधिपत्य पूर्वजो के समय से चला आ रहा है। जो मन्दिर निर्मित भूमि के एवज में अपीलांट के पूर्वजो को ग्राम पंचायत व ग्राम के आमजन की सहमति व जा... तथा तहसील प्रशासन की जानकारी से कृषि भूमि सर्वे नंबर 340 ... 02 ... अपीलांट के पूर्वजो को दी गई थी।" के सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा इस प्रकार के कोई दस्तावेज अपीलांट की ओर से पेश नही हुए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:46 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

राजकीय अधिवक्ता अनुसार पटवारी को रेस्पोडेंट के रुप में पक्षकार बनाया गया है। इस सन्दर्भ में पटवारी एक अधिनस्थ कार्मिक है। अपने क्षैत्राधिकार में निर्णय अधिकारी तहसीलदार है। अतः पटवारी औपचारिक पक्षकार है, इनको सुना जाना आवश्यक प्रतित नही होता है।

अपीलांट के अधिवक्ता का कथन कि "यदि देवस्थान की भूमि पर अपीलांट के द्वारा कोई अतिक्रमण किया जाता तो देवस्थान विभाग अपीलांट के विरुद्ध कार्यवाही करते। अपीलांट का 02 बिस्वा भूमि पर विधि अनुकूल कब्जा है।" के सन्दर्भ में अपीलार्थी स्वयं ने अतिक्रमित भूमि पर अपना अतिक्रमण माना है। राजस्व ग्रुप 6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3/(2) राज-6 /2007/ पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार को अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर प्रभावी निस्तारण करने निर्देशित किया है। इस परिपत्र के अनुसरण में ग्राम टाण्डा रतना के सर्वे नंबर 340 रकबा 0.06 बिस्वा बिलानाम ना.का. काश्त किस्म देवस्थान दर्ज रेकार्ड भूमि में से 0.02 बिस्वा भूमि को अपीलांट श्री जोरावरसिंह पिता भासींगा निवासी टाण्डा रतना द्वारा स्वयं के खसरे में शामिल कर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का टाण्डा रतना की रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा प्रकरण सं. 7/2022 अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार सुनवाई के पश्चात् निर्णय दिनांक 10.06.2022 से अतिक्रमी के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित किये है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-08-2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:46 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)
अति.जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)